4084 5780
18/8/13 22/10/13

अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत

वाद संख्या–06 / 2013–14

गफुर बनाम छेदी नदाफ वगैरह।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

अभिलेख का अवलोकन किया। बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत इस वाद में गफुर, पिता– नथुनी मंसूरी, मतौफा ग्राम– ककोढ़ा, थाना–सकतपुर, जिला– दरभंगा, आवेदक तथा (1) छेदी नदाफ पिता–ईमामन नदाफ मतौफा (2) रफीक नदाफ पिता–स्व0 शफीद नदाफ (3) शहाबुद्दीन नदाफ पिता–ईमामन नदाफ मतौफा एवं (4) अलाउद्दीन नदाफ पिता– ईमामन नदाफ मतौफा ग्राम–ककोढ़ा थाना–सकतपुर जिला–दरभंगा, विपक्षीगण है। विवाद के अन्तर्गत इस वाद में मौजा ककोढ़ा में अवस्थित निम्न व्योरे की भूमि है:–

थाना न0	तौजी नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा	चौहद्दी
369	6424	12	1501(पु0) 2570(न0)	01 कट्ठा 17 धुर 08 कनमा	उ0–सिमाने विशनपुर
					द0– नीज आवेदक
					पू0– नीज आवेदक
					प0– पोखर का भिण्डा

अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आवेदक ने प्रस्तुत वाद दिनांक–02.04.2013 को दाखिल किया, जिसपर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए वाद की प्रविष्टि की गई एंव विपक्षीयों को उचित पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दिनांक–16.04.2013 को निबंधित सूचना निर्गत की गई। आवेदक ने अपने वाद पत्र को शपथ–पत्र के माध्यम से समर्थित करते हुए अधिनियम द्वारा निर्धारित न्याय शुल्क मो0 एक सौ रूपया फ्रैकिंग मशीन सं0– 3355 से दिनांक– 02.04.2013 को जमा कर वाद पत्र के साथ संलग्न किया है। विपक्षीयों में दो विपक्षी मो0 शहाबुद्दीन एवं अलाउद्दीन नदाफ ने अधिकार पत्र के साथ कार्रवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया तथा अपनी ओर से ब्यान तहरीर दाखिल किया है। परन्तु विपक्षीगण ब्यान तहरीर दाखिल करने के पश्चात् कार्रवाई में भाग लेना छोड़ दिया। अतएव दिनांक– 05.07.2013 को चेतावनी के साथ सुनवाई में भाग लेने का निदेश दिये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हो पाये, अतएव आवेदक के वाद पत्र पर विद्वान अधिवक्ता को न्यायहीत में एकपक्षीय सुनते हुए दिनांक– 12.07.2013 को इस वाद की सुनवाई

17/08/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	पूर्ण की गई है। आवेदक ने अपने वाद पत्र में उल्लेख किया है कि इनके पिता– नथुनी मंसूरी ने दिनांक– 20.04.1985 को जमील मंसूरी वो जुम्मन मंसुरी से एक कट्ठा जमीन एवं अन्य केवाला से खाता नं0– 12, खेसरा नं0–1501 (पुराना) 2570 (नया) है, जिसका चौहद्दी उत्तर– सिमाने विशनपुर, दक्षिण– खरीदार, पूरब– खरीदार, पश्चिम– पोखर का भिण्डा है, खरीद किया। आवेदक का कहना है कि खरीदगी तिथि से इनके पिता अपने दखल–कब्जे में लेकर जोत–आबाद करते चले आ रहे थे, आवेदक के पिता को रूपये की सख्त जरूरत थी जिस कारण उक्त जमीन को बेचने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नही था तो उन्होने उसे बेचने की घोषणा किए जिसे सुनकर विपक्षीगण इनके पिता से सम्पर्क किए वो दोनों पक्षों के बीच बातचीत तय होने के बाद निश्चित जरसेमन तय कर बदलैननामा के द्वारा उक्त जमीन लेने वो देने को तैयार हुए, उसके वाद आवेदक के पिता ने उक्त जमीन का बदलैन विपक्षी के नाम 01 कट्ठा 17 धुर 08 कनमा जमीन का तहरीर वो तामिल कर दखल कब्जा दे दिया। आवेदक ने यह भी उल्लेख किया है कि इनके पिता ने उक्त खाता खेसरा की जमीन में से और जमीन भी जमील मंसूरी वो जुम्मन मंसूरी से खरीद किया है जिसपर आवेदक का दखल कब्जा चला आ रहा था, इधर आकर विपक्षीगण इनके पिता द्वारा बेचे गए प्रश्नगत भूमि के आलावा और भूमि दखल कब्जा कर लिया है, इस संबंध में आवेदक ने कई बार विपक्षीयों से आग्रह किया कि अमीन रखकर नापी कराकर विपक्षीगण अपने जमीन पर चले जाय, परन्तु विपक्षीगण दिनांक– 22.03.2013 को नापी कराने से साफ इन्कार कर दिया। आवेदक ने अनुरोध किया है कि प्रश्नगत भूमि को नापी कराकर विपक्षीगण को दे दिया जाय एवं बकिये जमीन को अलग कर आवेदक के दखल कब्जा में दे दिया जाय। आवेदक ने दो दस्तावेज जमील मंसूरी व जुम्मन मंसूरी बनाम मो0 नथुनी मंसूरी दिनांक–20.04.1985 एवं ईमामन मंसूरी बनाम नथुनी मंसूरी दिनांक–13.08.1985 की छायाप्रति दाखिल किया है। विपक्षी की ओर से दाखिल ब्यान तहरीर में उल्लेख किया गया है कि आवेदक को विपक्षीयों के विरूद्ध इस मुकदमा को दायर करने का कोई अधिकार नही है। विपक्षीयों ने यह भी उल्लेख किया है कि आवेदक ने केवल तंग तबाह करने तथा न्यायालय का समय बर्बाद करने के उद्देश्य से यह मुकदमा दायर किया है तथा मुकदमा दायर करना आवेदक के क्षेत्राधिकार से बाहर है आवेदक द्वारा दायर वाद को विपक्षीयों ने सरासर झुठ, गलत,बेबुनियाद तथा वास्तविकता के	

17/08/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	विरूद्ध बताते हुए विपक्षीयों ने वाद चलने के काबिल नही होना कहा है एवं उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक का है ही नहीं, बल्कि यह जमीन विपक्षीगण के पिता के नाम से खतियान के द्वारा प्राप्त है तथा करीब 80 वर्ष पूर्व से घर, मकान, कच्चा–पक्का, बाड़ी आम, कटहल, अरनेमा, ताड़, खजूर अन्यान्य पेड़–पौधा पुराना लगा है तथा सभी विपक्षीगण जमीन को अपना दखल–कब्जा में लेकर अपने बाल–बच्चों समेत निवास कर उपभोग करते आ रहे है। विपक्षीयों का दावा है कि आवेदक का यह आरोप कि विपक्षीयों ने बाजबरदस्ती जमीन कब्जा कर लिया है, जो सरासर गलत है, बल्कि विपक्षीयों को पहले से ही दखल–कब्जा चला आ रहा हैं। विपक्षीयों ने आवेदक के इस आरोप को भी गलत कहा है कि विपक्षीयों ने अमीन के नापी से इन्कार कर दिया, बल्कि यह कहा है कि दिनांक–14.03.2012 को स्थानीय सरपंच कचहरी के आदेशानुसार सरकारी अमीन और सकल–समाज के साथ नापी कराकर विपक्षीयों के पक्ष में अंतिम निर्णय किया गया जिसकी कॉपी वादी को भी दिया गया है। विपक्षीयों ने आवेदक के इस कथन कि किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत भूमि पर मुकदमा दर्ज नहीं है को सरासर गलत बताते हुए कहा है कि विपक्षीयों के पिता इमामुन नदाफ बनाम नथुनी नदाफ के बीच भू–बन्दोवस्त पदाधिकारी दरभंगा के न्यायालय में धारा–106 B-T-Act के अन्तर्गत हकियत वाद सं0–10030/1990 चला था जिसका अंतिम आदेश विपक्षीयों के पक्ष में निर्गत हुआ है इसके साथ ही वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध सकतपुर थाना काण्ड सं0–155/1982 अन्दर 395 भा0 द0 वि0 का मुकदमा किया था जो झूठा साबित होकर उल्टे वादी के विरूद्ध धारा–211 का मुकदमा चल रहा है इसके साथ ही मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सी0 आर0 नं0–517/08 वादी ने दर्ज किया है। विपक्षीयों ने आवेदक द्वारा दाखिल वाद को खारिज करने तथा वादी पर फौजदारी मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है। विपक्षीयों की ओर से अपने लिखित व्यान तहरीर में वर्णित तथ्यों के समर्थन में कोई भी कागजी प्रमाण दाखिल किया गया है। विपक्षीयों द्वारा बयान तहरीर दाखिल कर कार्रवाई में अनुपस्थित रहने तथा चेतावनी के पश्चात् भी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं होने की स्थिति में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना। आवेदक प्रश्नगत भूमि को विपक्षी के नाम अपने पिता द्वारा बदलैन तहरीर वो तामिल कर दखल कब्जा दे देने की बात करते है जबकि विपक्षी उसे अपने पिता के नाम खतियान द्वारा प्राप्त होना बताते है। आवेदक ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रश्नगत भूमि कब एवं किस विपक्षी के नाम उनके पिता ने बदलैन किया तथा बदलैन में उन्हें	

17/08/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	कौन सी भूमि मिली। साथ हीं विपक्षी ने अपने पिता को खतियान द्वारा हासिल होने के संबंध में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है परन्तु इतना स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि विपक्षीयों के दखल कब्जे की भूमि है, चूँकि इस तथ्य को स्वंय आवेदक ने अपने वाद पत्र में स्वीकार किया है कि इनके पिता ने विपक्षी के नाम प्रश्नगत भूमि का बदलैन तहरीर वो तामिल कर दखल कब्जा दे दिया। यह भी विदित होता है कि आवेदक के अनुसार विपक्षीयों ने प्रश्नगत भूमि से अधिक भूमि पर दखल कब्जा कर लिया है जिसके विरूद्ध यह वाद लाया गया है एंव कहा गया है कि नापी कराकर प्रश्नगत भूमि विपक्षीगण को दे दिया जाय एवं बकिये जमीन को अलग कर दिया जाय वो आवेदक के दखल कब्जे में दे दिया जाय। परन्तु विपक्षी का कहना है कि दिनांक–14.03.2012 को स्थानीय सरपंच कचहरी के आदेशानुसार सरकारी अमीन और सकल–समाज के साथ नापी कराकर विपक्षीयों के पक्ष में अंतिम निर्णय किया गया जिसकी प्रति वादी को भी दिया गया है, लेकिन इसके समर्थन में कोई भी कागजी प्रमाण विपक्षीयों द्वारा दाखिल नहीं किए जाने से कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। सुनने के पश्चात् विदित होता है कि मात्र प्रश्नगत भूमि के अधिकारी विपक्षीगण है न कि इससे अधिक भूमि का, विपक्षीयों ने प्रश्नगत भूमि से अधिक भूमि कब्जा कर लिया है जिसका नापी मात्र कराकर आवेदक अपनी भूमि, जिसे विपक्षीयों ने कब्जा कर लिया है निकालना चाहते है, जिसे न्यायहीत में नियमानुसार अंचल सरकारी अमीन से नापी कराना आवश्यक प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में वादी के वाद पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया जाता है कि अंचल अधिकारी मनीगाछी प्रश्नगत भूमि का सीमांकन वाद कायम कर आवेदक से अमानत शुल्क जमा कराकर प्रश्नगत भूमि का नापी करायेंगे तथा प्रश्नगत भूमि से अधिक भाग पर विपक्षीयों का कब्जा पाये जाने पर स्कैच मैप के साथ सुस्पष्ट प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रति अंचल अधिकारी मनीगाछी को भेजें। **लेखापित एव शुद्धित** 17/08/13 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।** 17/08/13 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	